जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 16.12.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 166 वाहनों से 1,63,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 166 वाहनों से 1,63,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

दबिश के दौरान 16 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 02** वारण्टी नाम पता 01.अलीमुद्दीन बब्बू चौधरी पुत्र वसीर अहमद निवासी टेमा रहमत थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. सागर उर्फ रामसागर पुत्र अमृत बरई निवासी बूधाकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, हे0का0 मो0 युसुफ, का0 चन्द्रशेखर यादव।

***दुधारा पुलिस द्वारा* 03** वारण्टी नाम पता 01. दुखहरन उर्फ दुखरन पुत्र जीतू निवासी मुड़ाडीहा खुर्द थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 02. मोहम्मद अख्तर हुसैन पुत्र साकिर हुसैन निवासी पचपोखरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 03. सादाब पुत्र रहमतुल्लाह निवासी पचपोखरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री अभय कुमार पाण्डेय, हे0का0 अनिल मिश्रा, हे0का0 जय कन्नौजिया, हे0का0 नाजिर हुसैन, हे0का0 दुर्गेश भारती, का0 अर्जुन प्रसाद, का0 अनिल यादव, का0 रत्नेश सिंह ।

***मेहदावल पुलिस द्वारा* 02** वारण्टी नाम पता 01. रामजीत पुत्र बेकारू केवट निवासी तुलसीपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर 02. धर्मराज पुत्र शंकर निवासी अब्बल केवटहिया थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री लालमणि यादव, उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 मुरली मनोहर, का0 मिंटू गुप्ता।

***बखिरा पुलिस द्वारा* 04** वारण्टी नाम पता 01. बहरैची पुत्र रामअधारे निवासी ढोढ़या थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02. शैलेन्द्र उर्फ मन्टू पुत्र रामकेवल निवासी परतिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 03. रामवृक्ष पुत्र रामहरि केवट निवासी चिरैयाडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 04. सेराज कसाई पुत्र मुन्ना कसाई निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री पवन कुमार, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव, उ0नि0 श्री शम्भू राम का0 अंगद यादव।

***धनघटा पुलिस द्वारा* 05** वारण्टी नाम पता 01. सीताराम पाण्डेय पुत्र अद्या प्रसाद पाण्डेय निवासी अशरफपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 02. रामवृक्ष पुत्र गुद्दीन निवासी महाखरपुर 03. सुभाष पुत्र ओरी निवासी महाखरपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 04. मुख्तार पुत्र वकील निवासी मैली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 05. सालिकराम पुत्र रामललित निवासी रामपुर बाराकोनी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, उ0नि0 श्री रामाशंकर प्रसाद, उ0नि0 श्री आजम अंसारी, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 अजय कुमार, का0 संदीप, का0 अनिल कुमार यादव, का0 अनिल कुमार साहनी।

थाना एएचटी व श्रम विभाग की संयुक्त कार्यवाही में बालश्रम/बाल बन्धुआ मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु कपडे की दुकानों,ढाबों, अन्य दुकानों, गैराजों वर्कशाप में चलाया गया अभियान

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में थाना एएचटी व श्रम विभाग की संयुक्त कार्यवाही में बालश्रम/बाल बन्धुआ मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान के तहत आज दिनांक 16.12.2024 को थाना एएचटी संतकबीरनगर व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त रुप से बरदहिया बाजार में कपडे की दुकानों, ढाबों, वर्कशॉप, गैराजों आदि संदिग्ध स्थानों पर ऑपरेशन मिशन शक्ति विशेष अभियान के अन्तर्गत बालश्रम/बाल बन्धुंआ मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु ढाबों, दुकानों, गैराजों, वर्कशॉप इत्यादि सम्भावित स्थानों पर रेस्क्यू/चेकिंग अभियान के दौरान चेकिंग में 04 नाबालिग बालक बाल श्रम करते हुये मिले। थाना एएचटी संतकबीरनगर व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बच्चों को रेस्क्यू कर बच्चों को उनके परिजन को सुपुर्द किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी संतकबीरनगर द्वारा बरदहिया बाजार खलीलाबाद के मालिकों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गयी। थाना एएचटी संतकबीरनगर व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बरदहिया बाजार के कपडे की दुकानों, वर्कशाप, गैराजों,वर्कशॉप आदि के मालिकों कों कड़ी हिदायत दी गयी कि किसी भी दशा मे 18 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिका से काम न कराये। थाना एएचटी टीम द्वारा मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति न कराने सम्बन्धी आवश्यक निर्देशों से आम जनमानस को जागरूक किया गया। इमरजेंसी सहायता हेतु शासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन न0. 1090,1098,108,112,1076,181 आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

बाल श्रम प्रवर्तन अधिकारीः- श्री मनोज कुमार।

एएचटी संतकबीरनगर टीमः- निरीक्षक श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री नरेंद्र सिंह, हे0का0 मेवालाल, हे0का0 पुरूषोत्तम राय, का0 दिलीप गोंड।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के मामले में 04 अभियुक्तों को पाँच-पाँच वर्ष के सश्रम करावास व कुल 42,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 16.12.2024 को ***मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना मेहदावल*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0

226/2020 धारा 323, 325, 304, 504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. वजहुल कमर पुत्र युनुस 2. जावेद अख्तर पुत्र वजहुल 3. मो0 हुसैन पुत्र वजहुल 4. मो0 अख्तर पुत्र वजहुल निवासीगण कुसौना खुर्द थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर में आदेशित किया गया कि अभि0गण वजहुल कमर, मो0 अख्तर, मो0 हुसैन व जावेद अख्तर को सत्र वाद सं0 431/20, मु0अ0सं0 226/2020 धारा 304(ii) भादवि थाना मेहदावल जिला संतकबीरनगर में पाँच-पाँच साल के कारावास व दस-दस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभि0 गण को प्रत्येक एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार धारा 323 भादवि अन्तर्गत अभि0गण प्रत्येक को छः-छः माह के कारावास व पाँच-पाँच सौ रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभि0गण प्रत्येक को सात दिन अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। धारा 504 भादवि के अन्तर्गत अभि0गण प्रत्येक को छः माह के कारावास से दण्डित किया जाता है। अभि0गण द्वारा उक्त मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। अभि0गणों को प्रत्येक आरोप में अधिरोपित दण्ड साथ – साथ चलेगी।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 1223/2023 धारा 307 भादवि के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अरबाज पुत्र शकील अहमद निवासी गड़सरपार थाना कोतवाली खलीलाबाद को ग्राम गड़सरपार चौराहे के पास से आज दिनांक 16.12.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- विदित हो कि उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी ने अपने पति इमरान खान पुत्र रुस्तम को दिनांक 20.12.2023 को चाकू मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजीव सिंह, हे0का0 सम्पूर्णानन्द यादव।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 16.12.2024 को ***मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एस0पी0जे0/ पाक्सो कोर्ट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 376/2019 धारा 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम 1. कालभवन पुत्र दुलारे निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामलें में आदेश पारित किया गया कि अभि0 कालभवन को विशेष सत्र परीक्षण सं0 534/019, मु0अ0सं0 376/019 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा 376(3) भादवि तथा धारा 5/6 पाक्सो एक्ट 2012 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अभि0 कालभवन जिला कारागार स0क0न0 से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित आया। सिद्धदोष अभि0 कालभवन को विशेष सत्र परीक्षण सं0 534/19, मु0अ0सं0 376/19 थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अन्तर्गत धारा 376(3) भादवि में आजीवन कारावास व 20,000रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भोगना होगा। धारा 428 सीआरपीसी के तहत

दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को इस मामले के कारावास की अवधि में समायोजित किया जायेगा। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर धारा 357 सीआरपीसी के तहत सम्पूर्ण राशि मु0- 20,000रु0 (बीस हजार रुपये) पीड़िता/अभियोक्तीगण को अपील अवधि पश्चात बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। अपील होने की दशा में मा0 अपीलिय न्यायालय के आदेश का पालन किया जायेगा। दोषसिद्ध कालभवन को सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा जावे।